न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 रिवीजन-1249-II-15

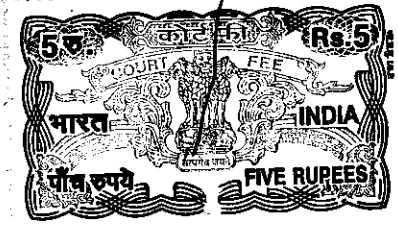

(1) भोलाराम तिवारी पिता स्व. चन्द्रभान शर्मा तिवारी
(2) रामशरण तिवारी पिता स्व. चन्द्रभान शर्मा तिवारी
निवासीगण ग्राम मिसिरगँवा पोस्ट कोठार तहसील गोपदबनास जिला सीधी

——आवेदक

विरुद्ध

रामसुशील तिवारी पिता स्व. चन्द्रभान शर्मा तिवारी निवासी ग्राम मिसिरगँवा पोस्ट कोठार तहसील गोपदबनास जिला सीधी

——अनावेदक

श्री विनोद भार्गव एडवोकेट
द्वारा आज दि. 30-5-15 को
प्रस्तुत

30-5-15

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
30/5/15

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक R-2189-II/12 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 30/5/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 30/5/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 30/5/15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक R-2189-II/12 पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-1d

दिनांक 30/5/15

स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी
भोलाराम तिवारी आदि - आवे.
(द्वारा- अभिभाषक)
आर.डी. शर्मा

XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1249-II/15 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य	